

कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांकः स्था०/२०२२/६२३५

दिनांकः १६/१२/२०२२

कार्यालय—आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था०/५५ए दिनांक १९.०६.२०२२ में आंशिक संशोधन किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है एवं शेष आदेश यथावत रहेगा :—

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	वर्तमान दीवानी स्थानीय क्षेत्राधिकार	दीवानी स्थानीय क्षेत्राधिकार जो प्रदत्त किया गया है
1	2	3	4
01.	न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, क्रम—०९, जयपुर महानगर—द्वितीय (आमेर)	न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, क्रम—८, जयपुर महानगर—द्वितीय (आमेर) से अन्तरित होकर प्राप्त होने वाले दीवानी प्रकरण	नवसृजित आरक्षी केन्द्र जयसिंहपुरा खोर की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण
02.	न्यायालय सिविल न्यायाधीश, (पश्चिम) जयपुर महानगर—द्वितीय	आरक्षी केन्द्र विश्वकर्मा, मुरलीपुरा, झोटवाडा, विद्याधर नगर, करधनी व कालवाड की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण	आरक्षी केन्द्र विश्वकर्मा, मुरलीपुरा, झोटवाडा, करधनी, कालवाड व दौलतपुरा की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण
03.	न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश, (उत्तर) जयपुर महानगर द्वितीय	आरक्षी केन्द्र ब्रह्मपुरी, नाहरगढ रोड, गलता गेट, शास्त्री नगर व सुभाष चौक की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण	आरक्षी केन्द्र ब्रह्मपुरी, नाहरगढ रोड, गलता गेट व सुभाष चौक की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण
04.	न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश, क्रम—०१, जयपुर महानगर—द्वितीय	पुलिस उपायुक्त पश्चिम व उत्तर जयपुर महानगर के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं से संबंधित ऐसे दीवानी मामले, जिनमें नगर निगम जयपुर पक्षकार है व जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र के जयपुर मुख्यालय से संबंधित है।	आरक्षी केन्द्र विद्याधर नगर, जालूपुरा, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण
05.	न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश, क्रम—०२, जयपुर महानगर—द्वितीय	आरक्षी केन्द्र जालूपुरा, कोतवाली, माणक चौक, संजय सर्किल व रामगंज की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, माणक चौक, संजय सर्किल व रामगंज की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण
06.	न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश, क्रम—०३, जयपुर महानगर—द्वितीय	आरक्षी केन्द्र बनीपार्क, सदर, सिंधी कैप, भट्टा बस्ती व वैशाली नगर की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण	आरक्षी केन्द्र बनीपार्क, सदर, सिंधी कैप, चित्रकूट व वैशाली नगर की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण


 जयपुर महानगर द्वितीय
 निवास विभाग
 जयपुर नगरपालिका

07.	न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश, क्रम-04, जयपुर महानगर-द्वितीय	आरक्षी केन्द्र चित्रकूट, करणी विहार, सेज, बगरू व भांकरोटा की पुलिस उपायुक्त पश्चिम के क्षेत्र से संबंधित सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण	आरक्षी केन्द्र करणी विहार, सेज, बगरू, भांकरोटा व नवसृजित आरक्षी केन्द्र बिन्दायका की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण
08.	न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश, क्रम-18, जयपुर महानगर-द्वितीय (आमेर)	आरक्षी केन्द्र आमेर की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण	आरक्षी केन्द्र आमेर व नवसृजित आरक्षी केन्द्र जयसिंहपुरा खोर की सीमा में उत्पन्न होने वाले दीवानी प्रकरण

- नोट :- 1. नगर निगम से संबंधित प्रकरण क्षेत्राधिकार के अनुसार संबंधित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. उक्त आदेश दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांक: स्था0/2022/ 6236 – 6242

दिनांक: 16/12/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
- श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम/जयपुर जिला, जयपुर
- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
- समस्त अधीनस्थ न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय न्यायक्षेत्र
- अध्यक्ष, दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर
- अध्यक्ष, दी बार एसोसियेशन, चौमूं/आमेर
- नोटिस बोर्ड न्यायालय हाजा
- आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली



जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय